

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल—462016

भोपाल, दिनांक,— 9 अगस्त, 2005

संशोधन—अधिसूचना

क्रमांक. 1947 / म.प्र.वि.नि.आ./ 05— विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 86(1)(जी) सहपठित धारा 181 एवं मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2000 (क्रमांक 4 वर्ष 2001) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक 394—एम.पी.ई.आर.सी.—05 दिनांक 14 फरवरी 2005 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) विनियम 2005 में निम्न संशोधन करता है ;

**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार)
विनियम 2005 में संशोधन**

कथित विनियम में :

विनियम 4 के उपनियम (iii) के हिन्दी रूपांतरण में उल्लेखित शब्दों “आरोपित” को शब्दों, “अधिरोपित” द्वारा प्रतिस्थापित किया जावे।

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, उप सचिव